वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2418.24	1.52	2419.76	3016.94	9.61	3026.55	2006.65	9.61	2016.26	3599.19	9.68	3608.87
वसूलियां	*-5.23*	...	-5.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2413.01**	**1.52**	**2414.53**	**3016.94**	**9.61**	**3026.55**	**2006.65**	**9.61**	**2016.26**	**3599.19**	**9.68**	**3608.87**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1.	सचिवालय	56.13	...	56.13	66.25	...	66.25	66.25	...	66.25	90.00	...	90.00
2.	*बौद्धिक संपदा*												
2.01	बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	37.00	1.52	38.52	45.25	1.60	46.85	75.75	1.60	77.35	74.11	1.67	75.78
2.02	बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम	3.72	...	3.72	6.09	8.00	14.09	5.76	8.00	13.76	7.09	8.00	15.09
2.03	पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक	37.71	...	37.71	48.23	...	48.23	51.21	...	51.21	52.01	...	52.01
2.04	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान	0.80	...	0.80	2.03	...	2.03	1.53	...	1.53	2.03	...	2.03
2.05	अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
2.06	अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
2.07	बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान प्रकोष्ठ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.99	...	10.99
2.08	कॉपीराइट कार्यालय	...	...	...	...	...	...	2.35	...	2.35	3.65	...	3.65
2.09	कॉपीराइट बोर्ड	...	...	...	...	...	...	4.30	...	4.30	3.35	...	3.35
2.10	कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
	जोड़- बौद्धिक संपदा	*79.23*	*1.52*	*80.75*	*101.60*	*9.60*	*111.20*	*145.40*	*9.60*	*155.00*	*160.33*	*9.67*	*170.00*
3.	*संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय*												
3.01	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	33.60	...	33.60	39.88	...	39.88	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
3.02	नमक आयुक्त	27.48	...	27.48	33.62	...	33.62	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
3.03	प्रशुल्क आयोग	5.76	...	5.76	7.59	...	7.59	6.24	...	6.24	6.94	...	6.94
3.04	वांयलर सर्वेक्षण	0.19	...	0.19	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
3.05	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	0.63	...	0.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*67.66*	...	*67.66*	*81.34*	...	*81.34*	*81.49*	...	*81.49*	*82.19*	...	*82.19*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**203.02**	**1.52**	**204.54**	**249.19**	**9.60**	**258.79**	**293.14**	**9.60**	**302.74**	**332.52**	**9.67**	**342.19**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	235.00	...	235.00	300.00	...	300.00	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम	125.00	...	125.00	152.00	...	152.00	115.00	...	115.00	200.00	...	200.00
6. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	4.82	...	4.82	4.00	...	4.00	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एन आई सी आई टी)	1176.06	...	1176.06	1399.99	...	1399.99	495.49	...	495.49	1031.79	...	1031.79
8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना	2.10	...	2.10	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
9. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास प्राधिकरण	2.11	...	2.11	45.00	...	45.00	1.50	...	1.50	10.00	...	10.00
10. प्रदर्शनी-सह-सममेलन केन्द्र, द्वारका	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**1180.27**	**...**	**1180.27**	**1447.99**	**0.01**	**1448.00**	**499.99**	**0.01**	**500.00**	**1044.80**	**...**	**1044.80**
मेक इन इंडिया												
11. निवेश संवर्धन हेतु योजना	259.05	...	259.05	310.00	...	310.00	166.76	...	166.76	272.48	...	272.48
12. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम	1.19	...	1.19	3.35	...	3.35	3.35	...	3.35	9.00	...	9.00
13. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई-बिज परियोजना)	4.10	...	4.10	11.00	...	11.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
14. निधियों का कोष	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
15. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
16. स्टार्ट-अप इंडिया	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
17. व्यवसाय करने में आसानी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
जोड़-मेक इन इंडिया	**264.34**	**...**	**264.34**	**324.35**	**...**	**324.35**	**177.11**	**...**	**177.11**	**299.99**	**0.01**	**300.00**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
18. पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	200.00	...	200.00	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00	600.00	...	600.00
19. परिवहन/ माल परिवहन राजसहायता योजना	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	293.71	...	293.71
20. विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	23.00	...	23.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	60.00	...	60.00
21. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्यौगिक इकाइयों को ब्याज राजसहायता	...	...	...	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00	100.00	...	100.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**283.00**	**...**	**283.00**	**365.00**	**...**	**365.00**	**290.00**	**...**	**290.00**	**1053.71**	**...**	**1053.71**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2092.43**	**...**	**2092.43**	**2593.34**	**0.01**	**2593.35**	**1489.10**	**0.01**	**1489.11**	**3105.00**	**0.01**	**3105.01**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. स्वायत्त संगठन												
22.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	61.81	...	61.81	110.00	...	110.00	160.00	...	160.00	95.00	...	95.00
22.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.61	...	0.61	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65
22.03 एशिया उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक	13.86	...	13.86	17.20	...	17.20	17.20	...	17.20	14.35	...	14.35

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
विकास संगठन												
22.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	46.50	...	46.50	46.55	...	46.55	46.55	...	46.55	51.66	...	51.66
22.05 अन्य स्कीमें	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- स्वायत्त संगठन	*122.78*	...	*122.78*	*174.41*	...	*174.41*	*224.41*	...	*224.41*	*161.67*	...	*161.67*
अन्य												
23. वास्तविक वसूली	-5.22	...	-5.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**117.56**	**...**	**117.56**	**174.41**	**...**	**174.41**	**224.41**	**...**	**224.41**	**161.67**	**...**	**161.67**
कुल जोड़	***2413.01***	***1.52***	***2414.53***	***3016.94***	***9.61***	***3026.55***	***2006.65***	***9.61***	***2016.26***	***3599.19***	***9.68***	***3608.87***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33.60	...	33.60	39.88	...	39.88	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	1.52	1.52	...	9.61	9.61	...	9.61	9.61	...	9.67	9.67
जोड़-सामान्य सेवाएं	**33.60**	**1.52**	**35.12**	**39.88**	**9.61**	**49.49**	**45.00**	**9.61**	**54.61**	**45.00**	**9.67**	**54.67**
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	776.57	...	776.57	959.57	...	959.57	931.01	...	931.01	1190.29	...	1190.29
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	1462.05	...	1462.05	1578.02	...	1578.02	555.02	...	555.02	1209.84	...	1209.84
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	50.35	...	50.35	66.25	...	66.25	66.25	...	66.25	90.00	...	90.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	90.44	...	90.44	106.25	...	106.25	141.90	...	141.90	154.79	...	154.79
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**2379.41**	**...**	**2379.41**	**2710.09**	**...**	**2710.09**	**1694.18**	**...**	**1694.18**	**2644.92**	**0.01**	**2644.93**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	266.97	...	266.97	267.47	...	267.47	909.27	...	909.27
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**266.97**	**...**	**266.97**	**267.47**	**...**	**267.47**	**909.27**	**...**	**909.27**
कुल जोड़	**2413.01**	**1.52**	**2414.53**	**3016.94**	**9.61**	**3026.55**	**2006.65**	**9.61**	**2016.26**	**3599.19**	**9.68**	**3608.87**

1. **सचिवालय:** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2.01. **बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुoनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान पैटेन्ट कार्यालय, व्यापार चिह्न पंजीकरण, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक पंजीकरण के आधुनिकीकरण की योजना के लिए है। इसमें अवसंरचना बनाने का प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम:** इसे पैटेन्ट नियंत्रक, तथा व्यापार चिह्न और भौगोलिक पंजीयक के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने के लिए स्थापित किया गया। आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। बजट में बोर्ड के वेतन और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय की आवश्यकता के लिए प्रावधान है।

2.03. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकार, अर्थात पैटेन्ट अधिनियम, 1970 डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक सूचक अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा सेमीकंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

2.04. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान करने का प्रबंध करता है।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन:** संगठन की स्थापना लागत के लिए प्रावधान है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 तथा इनके अंतर्गत बने अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, इस्तेमाल, परिवहन, आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मसलों पर सभी प्राधिकारियों को सलाह देता है तथा पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विस्फोटक पहचानने में सघन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन उत्पादन लक्ष्यों तथा नमक के वितरण मूल्य निगरानी अभिरक्षा एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक के मानक तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु जिम्मेदार है तथा राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु एक मॉडल एजेंसी है। यह नमक उत्पादन तथा तर्कसंगत वितरण को विनियमित करती है जिसमें आयोडीनयुक्त नमक भी शामिल है यह नियमित रूप से नमक के मूल्य तथा इसकी उपलब्धता की निगरानी करता है। इसके बजट में संगठन के स्थापना प्रभार तथा विकास और कल्याण कार्य हेतु प्रावधान है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 को स्थापित आयोग के स्थापना खर्चों को पूरा करने के लिए।

3.04. **वांयलर सर्वेक्षण:** बायलर सर्वेक्षण हेतु अनुसंधान अध्ययन के लिए प्रावधान है।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य चमड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन करके कच्ची सामग्री के आधार को बढ़ाना, पर्यावरण चिंताओं को दूर करना और मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना, पारंपरिक चमड़ा कारीगरों को सहायता देना, अवसंरचना संबंधी बाधाओं का समाधान और सांस्थानिक सुविधाओं की स्थापना करना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए गुणतापरक अवसंरचना उपलब्ध कराकर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। चुनिंदा कार्यात्मक कलस्टरों में अवसरंचना विकास राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एन आई सी आई टी):** दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना, दादरी (यू.पी.) और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुम्बई) के बीच 1483 किमी. लंबे पश्चिम डेडीकेटेड रेल फ्रेट कोरीडोर के दोनों तरफ बनाई जा रही है। छह राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए यह परियोजना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के साथ सशक्त आर्थिक आधार बनाएगी तथा स्थानीय व्यापार प्राप्त करने, निवेश बढ़ाने और सतत विकास के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना बनाएगी।

8. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना:** उत्तर और पूर्वी भारत के सघन जनसंख्या वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (एकेआईसी) बनाया गया। एकेआईसी को ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (ईडीएफसी) के चारों ओर तथा इस मार्ग परमौजूदा राजमार्ग के मुख्य आधार के रूप में तैयार किया जाएगा।

9. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास प्राधिकरण:** यह प्राधिकरण देश के औद्योगिक कोरीडोर की देखभाल करेगा।

10. **प्रदर्शनी-सह-सममेलन केन्द्र, द्वारका:** प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र को द्वारका नई दिल्ली में स्थापित किया जाना है, इसे देश में वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलनों को आकर्षित करने वाले प्रमुख केन्द्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

11. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** इस विभाग ने मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की है जो भारत को निवेश लक्ष्य और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है तथा भारत में आकर अपने उत्पाद बनाने के लिए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना है। मेक इन इंडिया पहल के प्रचार को बनाए रखने के लिए, डीआईपीपी डिजीटल मीडिया, टेलिविजन तथा अमेरिका, यूरोप, एशिया पेसिफिक, दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका में भारतीय दूतावास के माध्यम से इस पहल का प्रचार कर रहा है।

12. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित तथा इस विभाग द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2011 के प्रेस नोट द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को कार्यान्वित करना है। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) की स्थापना इस नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित निधि एनआईएमजेड के मास्टर प्लानिंग की लागत के खर्चे पूरे किए जाएंगे।

13. **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई-बिज परियोजना):** ई-बिज मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की सभी व्यवसाय तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं को एक एकल पोर्टल पर उपलब्ध कराकर, अनेक कार्यालयों में जाने अथवा अनेक वेबसाइटों पर जाने की निवेशकों अथवा व्यवसायियों की जरूरत को समाप्त करते हुए भारत में एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

18. **पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007 में पूर्वोत्तर भारत में निवेशकों के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। एनईआईआईपीपी, 2007 के प्रावधानों में, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों के साथ-साथ समर्थकारी वातावरण की व्यवस्था है। सभी औद्योगिक इकाइयों, नई तथा पूर्वोत्तर में मौजूदा इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर मिलने वाले प्रमुख प्रोत्साहन हैं (1) औद्योगिक उत्पाद शुल्कों में छूट (2) आयकर में 100 प्रतिशत छूट (3) निवेश की अधिकतम सीमा के बिना संयंत्र एवं मशीनरी में 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता (4) व्यवसाय आरंभ करने की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्यांज राजसहायता (5) 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की व्यापक बीमा प्रतिपूर्ति (6) सेवा क्षेत्र जैसे होटल, नर्सिंग होम, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान आदि के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी उपलब्ध हैं।

19. **परिवहन/ माल परिवहन राजसहायता योजना:** स्कीम के अंतर्गत पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सब्सिडी दी जाती है।

22.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इसके अंतर्गत स्वायत्त संस्थाओं के अर्थात भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबर विनिर्माण अनुसंधान संघ एवं राष्ट्रीय उत्पादकता परिष्ाद को परियोजना आधारित सहायता दी जाती है।